न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 03 / 2022 GCMS No:- 2022/36

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री रामअवतार गुप्ता (विक्रेता)
   मैसर्सः– रामअवतार अशोक कुमार
   सदर बाजार कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर
   मूल निवासी– सदर बाजार कानोता, तहसील बस्सी
   जिला जयपुर–302012
   मोबाईल नं. 9414323776

2. श्री रामअवतार गुप्ता कट्टा (मालिक)
   मैसर्सः– रामअवतार अशोक कुमार,
   सदर बाजार कानोता,तहसील बस्सी,
   जिला जयपुर–302012

... अप्रार्थी–अभियुक्त

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
51, एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 21 / 06 / 2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी दिनांक 28.09.2021 को समय 05.00 पी.एम. बजे मैसर्स रामअवतार अशोक कुमार,सदर बाजारा कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री रामअवतार गुप्ता उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं नोमिनी होना जाहिर किया। मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र उपलब्ध नही होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर सरसो का तेल (टैगोर) की 500 एम.एल. वजन वाली 24 सील्ड पेट बोतले आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमें गुणवत्ता में कमी / मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पेट बोतले सरसो का तेल (टैगोर) 4 गुणा 500 एमएल खरीदकर उसकी कीमत 340/– रूपये विक्रेता श्री अशोक गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री दीपक सैनी एवं श्री संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

को कहा जिसे श्री अशोक गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति विक्रेता श्री अशोक गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सील्ड पेट बोतल सरसो का तेल (टैगोर) 4 गुणा 500 एमएल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-2262 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2262 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी पर इस प्रकार हस्ताक्षर किये की पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 285 दिनांक 22.10.2021 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1158/एक्ट/2021/1141 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (टैगोर) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक/ एफएसएसए /2022/346 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड सरसो का तेल (टैगोर) का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत क्रिये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (टैगोर) सबस्टैण्डर्ड का विकय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो, साथ ही अप्रार्थी के पास मौके पर वर्ष 2021 को खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर